न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं. 2016/00186 (38/2016) 223 आरटीएक्ट

1. जवाहरलाल पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी भानगढ तहसील भादरा।
2. महेन्द्रा देवी बेवा धर्म सिंह जाति जाट निवासी भानगढ तहसील भादरा
3. प्रहलाद
4. सन्तलाल } पि0 धर्मसिह जाति जाट निवासी भानगढ तहसील भादरा
5. सन्तोष

—अपीलाण्ट

—: बनाम :—

1. रोशनी पुत्री श्योराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी भानगढ तहसील भादरा हाल चुली बागडीयान तहसील व जिला हिसार, हरियाणा।
2. सरबती पत्नी
3. भागी देवी } मनीराम जाति जाट निवासी भानगढ तहसील भादरा।
4. सुमित्रा
5. मन्जू
6. बाला पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी भानगढ तहसील भादरा।
7. कविता } पि0 जगदीश जाति जाट जरिये नाबालिग जरिये माता बाला पत्नी
8. बबीता } निवासी भानगढ तहसील भादरा
9. मुकेश पुत्र राजकुमार जाति जाट नाबालिग जरिये माता सुमन पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी भानगढ तहसील भादरा।
10. सुमन पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी भानगढ तहसील भादरा।
11. विनोद कुमार पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी भानगढ तहसील भादरा।
12. शान्तिदेवी पुत्री श्योराम पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी श्योपुराबास तहसील भादरा।
13. सन्दोखी पुत्री श्योराम पत्नी जयसिह जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा।
14. चन्दो पुत्री श्योराम पत्नी जयसिह निवासी ढोकवा तहसील राजगढ जिला चुरू।
15. रमेश } पुत्रान धापा पत्नी मोमनराम जाति जाट निवासी तेलनवाली तहसील
16. माईसुख } आदमपुरा जिला हिसार।
17. कृष्णा पुत्री धापा देवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी राखीगढी तहसील व जिला हिसार
18. माया पुत्री धापा पत्नी अजीज जाति जाट निवासी राखीगढी तहसील व जिला हिसार
19. तीजा देवी पुत्री धापा पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी धीरणवास तहसील व जिला हिसार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

20. एम0जी0बी0 ग्रामीण बैंक अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

21. सब रजिस्ट्रार भादरा। — रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक व डिक्री दिनांक 11.04.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण संख्या 9/2013 अनवानी रोशनी बनाम जवाहरसिंह आदि

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट सं0 1

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, 13 व 14

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 21

निर्णय दिनांक —22.10.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 रोशनी ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। वादपत्र में ग्राम भानगढ की जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 में खाता संख्या 47, 124, 191 की कुल 5.6450 है. श्योराम के नाम दर्ज बारानी कृषि भूमि में श्योराम की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री होने व प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने पर आधार प्रत्येक खाता की कृषि भूमि में 1/8—1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत किया कि वादीया ने अपना हक तर्क कर दिया है इसलिए इस भूमि में उसका कोई हक हिस्सा नहीं है। उपखण्ड अधिकारी ने उभयपक्षों के दावा एव जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम करते हुए वाद वादीया साबित मानते हुए वाद डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 13, 14 के अधिवक्ता उपस्थित आये। शेष रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया लिहाजा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 13, 14 के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि का वादीगण के पूर्वज श्योराम व उसके तीनो पुत्र मनीराम धर्मसिंह व जवाहरलाल के मध्य काल्पनिक बंटवारा हो गया था। वादी को 1/32 हिस्सा प्राप्त हुई थी ना कि 1/8 हिस्सा प्राप्त हुआ था। अपने 1/32 हिस्सा भूमि को वादीया ने एवं दीगर पक्षकारान शान्ति, धापा, सन्दोखी, चन्दो ने अपने भाईयों के हक में बहिस्सा बराबर के अनुसार श्योराम की मत्यु के बारहवें पर तर्क कर दिया था एवं सहमति के आधार इन्तकाल हो चुका था। प्रतिवादी सं0 6 व 9 द्वारा प्रतिवादी सं0 15 के हक में करवाये गये विक्रयपत्र को चुनौती दी है जिसमें ना तो वादिया ने इस सम्बन्ध में कोई विवरण पेश किया है उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

बैयनामा कब निष्पादित किया गया है। बैयनामा की जानकारी वादीया को कब हुई इसका कोई विवरण अंकित नहीं किया है। यदि ऐसा कोई बैयनामा है भी तो किसी पंजीबद्ध दस्तावेज का सिविल न्यायालय में ही निर्धारित समय सीमा में चुनौती दी जा सकती है। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादीया/रेस्पोडेण्ट ने अपने वाद में कब्जा के सम्बन्ध में बेदखली का काई अनुतोष नहीं चाहा है। वाद भूमि पर उसका कब्जा काश्त कभी नहीं रहा और ना ही वादीया वाद भूमि में किसी भी श्रेणी की काश्तकार है। कब्जा के सम्बन्ध में अनुतोष चाहे बिना वादिया किसी भी प्रकार की घोषणा वादभूमि में करवा ने की अधिकारी नहीं है। वाद भूमि का खातेदारों के मध्य विभाजन हो चुका है प्रतिवादीगण ने अपने अपने हिस्सों को लाखों रूपये लगाकर समतल एवं उपजाउ बनाया है। वादिया ने अपने वाद में वादभूमि के सम्बन्ध में दर्ज इन्तकालों को कोई चुनौती नहीं दी है। वादीया ने स्टेट को पक्षकार नहीं बनाया है। वादिया ने विभाजन का भी कोई अनुतोष नहीं मांगा है। स्टेट को पक्षकार बनाये बिना उपपंजीयक को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम की मगर तनकियात के संबंध में कोई अवधारणा कायम नहीं की गई। वाद को सीधे ही साबित मानते हुए डिक्री कर दिया है जबकि प्रत्येक विवादक का पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निस्तारण किया जाना चाहिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री गलत, विधि विरूद्ध एवं जाब्ता दिवानी के आज्ञापक सिद्धान्तों के कतई विपरीत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायला का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 13, 14 ने अपनी बहस में कथन किया प्रश्नगत भूमि वादीया के पिता श्योराम की भूमि थी जिसमें वह जन्म से 1/8 हिस्सा की हकदार हैं। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट का हक गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा लिया है। जहां तक प्रश्नगत भूमि में मौखिक आधार पर अपने हक को तर्क करने का प्रश्न है कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 1/वादीया ने अपना हक कभी भी तर्क नहीं किय। किसी पक्षकार को अपने हक से अधिक भूमि को बैय करने का अधिकार नहीं है जो बेयनामा करवाया गया है वह दिखावटी बैयनामा है। जिसके संबंध में धारा 420 के अन्तर्गत मुकदमा भी दर्ज हुआ है जवाहरलाल जेल भी जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं अपीलाण्ट जवाहरलाल के बयानों एवं वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादीया का वाद साबित माना है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था। रेस्पोडेण्ट/वादीया ने श्योराम की भूमि में यह कहते हुए वाद पेश किया था कि उसके द्वारा अपने 1/8 हिस्से का हक कभी तर्क नहीं किया है। प्रश्नगत भूमि में उसका 1/8 हिस्से तक का हक है। अपीलाण्ट ने उसके 1/8 की बजाय 1/32 हिस्सा बताया है जिसका भी वादीया ने हक तर्क करने के कारण उसका हक नहीं होना बताया है। विचारण न्यायालय ने दावा एव जवाब दावा के आधार पर कुल 4 तनकियात कायम की है एवं विवेचन में "दावा वादिया साबित होता है" अंकित करते हुए वाद वादिया डिक्री किया है। किस तनकी का क्या विवेचन किया है अथवा सभी तनकीयात का एक साथ निर्णय किया गया है अथवा अलग अलग किया गया है। कौन कौनसी तनकी वादी अथवा प्रतिवादीगण में से किसके पक्ष में निर्णित की गई है आदि का निर्णय में कोई विवरण अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात के संबंध में कोई स्पष्ट अवधारणा कायम नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करने के उपरान्त प्रत्येक तनकी अलग अलग विवेचन करते हुए प्रत्येक तनकी पर अपनी अवधारणा कायम करनी चाहिए थी जो नही की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य हैं एवं उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण उपरोक्त विवेचनानुसार पुनः सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2016 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकार भादरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत तनकीवाईज निर्णय करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायायल के समक्ष दिनांक 30.12.2019 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official